10 Rs. INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

(58)

न्यायालय बोर्ड आफ रेवेन्यू मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प- उज्जैन,

प्रकरण क्रमांक :९९ निगरानी \1022-[illegible]/99

नारायण आत्मज नंदा जी [illegible]
निवासी ग्राम बालोदालक्खा तह० [illegible]नगर
जिला-उज्जैन. --------- प्रार्थी

श्री लोकनाथ पण्ड्या अभि० द्वारा आज दिनांक 10-6-99 को वैध उपस्थित प्रस्तुत।
[illegible] 10-6-99 वैध प्रस्तुत

विरुद्ध

ग्राम पंचायत ग्राम बालोदा लक्खा विकासखंड बड़नगर
जिला-उज्जैन द्वारा सरपंच ----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक २४-५-९९ प्रदत्त अपर आयुक्त महोदय
संभाग उज्जैन बसिलसिले प्रकरण क्रमांक ३८१:९६-९७ निगरानी

माननीय महोदय,

उपरोक्त प्रार्थी की ओर से निम्न अनुसार निगरानी आवेदन प्रस्तुत है :---

[illegible] 20/6/99

१-एक- यह कि, माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन ने अपना विचाराधिन आदेश प्रकरण क्र० ८।सी।१४४।९५-९६ में पारित आदेश दिनांक ११-३-९७ के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में जो अपने पद क्र० में यह मान्य किया है कि अतिक्रमण पाया गया व खसरे में उसका - उल्लेख है, तथा अभिलेख में जो पट्टा उपलब्ध है, वह अन्य व्यक्ति प्रहलाद-सिंह के नाम का और उसी के नाम से निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई है, तथा उसकी छाया प्रति अभिलेख में शामिल है, इस पर से जो अर्थ निकाला है, वह सही नहीहै । तथा ऐसे अर्थ निकालते समय यह मान्य किया जाना चाहिये था कि पट्टे पर उपलब्ध जमीन प्रहलादसिंह के पास रही है । तथा प्रहलादसिंह व्दारा ऐसी जमीन को अंतरित कर दिया गया था जो वर्तमान प्रार्थी नारायण आत्मज नंदा जी के पक्ष में अंतरण किया जाने से [illegible] स्वत्व एवम् अधिकार उसे प्राप्त हो चुके है, जो पूर्व मालिक प्रहलादसिंह को जमीन में पट्टे के आधार पर प्राप्त रहे है ।

[signature] -२-

(91) (92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1022-एक/1999

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21-08-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	